भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 396
22.07.2025 को उत्तर के लिए नियत
पीएम ई-ड्राइव योजना

396. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-ड्राइव योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और यह योजना देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने की गति किस प्रकार तेज करेगी;

(ख) यह योजना सार्वजनिक परिवहन के लिए, विशेष रूप से झाँसी और ललितपुर जैसे द्वितीय श्रेणी शहरों में, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में किस प्रकार सहायता प्रदान करेगी;

(ग) अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सुलभ और सस्ती ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु क्या रूपरेखा बनाई गई है;

(घ) यह योजना घरेलू ईवी विनिर्माण को, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हुए, किस प्रकार बढ़ावा देगी;

(ङ) इस पहल के माध्यम से अपेक्षित मापनीय पर्यावरणीय सुधार, जैसे उत्सर्जन में कमी, क्या हैं; और

(च) बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन से सभी के लिए समान विकास और स्वच्छ गतिशीलता सुनिश्चित करने में यह किस प्रकार सहायक होगी?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) पीएम ई-ड्राइव स्कीम के मुख्य लक्ष्य/उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

i. बाजार सृजन, मांग एकत्रीकरण और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।
ii. स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इसके घटकों के विकास के लिए घरेलू प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

iii. विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करके देश के भीतर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना।

iv. मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, व्यवहार्य और आत्मनिर्भर ईवी उद्योग का निर्माण करना।

v. भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने की दिशा में सकारात्मक योगदान देना, जैसा कि भारत के "पंचामृत" (सीओपी26 में 5-आयामी प्रतिबद्धता) में सहमति हुई थी और भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में व्यक्त किया गया था।

vi. विशेष रूप से शहरों से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सकारात्मक योगदान देना।

(ख) पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रारंभ में 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों अर्थात मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे को लक्षित किया जाएगा। राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से अंतर-शहरी/अंतर-राज्यीय ई-बसों को शुरू करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) पीएम ई-ड्राइव स्कीम में ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्रालयों/प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) आदि की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थानों का चयन केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सीपीएसई द्वारा ईवी वाहन घनत्व आदि जैसे तकनीकी मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। यह स्कीम अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत सहित पूरे भारत में लागू की जाएगी।

(घ) पीएम ई-ड्राइव स्कीम के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के तहत प्रगतिशील स्थानीयकरण अधिदेश ईवी और इसके घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

(ङ) इस स्कीम का उद्देश्य ईवी अपनाने में तेजी लाकर, मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करके और देश में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी और कम कार्बन उत्सर्जन की उम्मीद है।

(च) पीएम ई-ड्राइव स्कीम को बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों सहित पूरे भारत में लागू किया गया है।

****